भारत गणराज्य की सरकार
और
म्यांमार संघ गणराज्य की सरकार
के बीच
हवाई सेवा समझौता

अनुच्छेद 1

परिभाषाएं

इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, जब तक संदर्भ अन्यथा न बताए, शब्द:

(1) "वैमानिकी प्राधिकरण" शब्द से आशय प्रत्येक पक्ष के लिए उस प्राधिकरण या प्राधिकरणों से है जिनकी सूचना एक पक्ष द्वारा समय-समय पर दूसरे पक्ष को लिखित रूप में दी जाए।

(2) "समझौता" शब्द से आशय इस समझौते, इसके अनुबंध तथा इसमें किए गए किसी भी संशोधन से है।

(3) "वायु सेवा", "अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा", "विमान सेवा" और "गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए ठहराव" शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अभिसमय के अनुच्छेद 96 में समनुदेशित किया गया है।

(4) "क्षमता" शब्द से आशय समझौते के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की मात्रा (मात्राओं) से है, जिसे सामान्यतः किसी बाजार (शहर युग्म, अथवा देश से देश) में अथवा किसी मार्ग पर किसी विशिष्ट अवधि, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मौसमी अथवा वार्षिक, के दौरान प्रस्तावित उड़ानों (आवृत्तियों) अथवा सीटों अथवा माल के टनों की संख्या में मापा जाता है।

(5) "अभिसमय" शब्द से आशय अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन के लिए अभिसमय से है, जो 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर हेतु खोला गया था, और इसमें कोई भी संशोधन शामिल है जो अभिसमय के अनुच्छेद 94(क) के अंतर्गत प्रवृत्त हुआ हो और दोनों पक्षों द्वारा अभिपुष्ट किया गया हो, तथा अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अंतर्गत अंगीकृत कोई भी अनुबंध अथवा उसमें कोई संशोधन, जहां तक ऐसे अनुबंध अथवा संशोधन किसी भी समय दोनों पक्षों के लिए प्रभावी हों।

(6) "नामित विमान सेवा" शब्द से आशय ऐसी विमान सेवा से है जिसे इस समझौते के अनुच्छेद 3 (विमान सेवाओं का नामन और प्राधिकरण) के अनुसार नामित और प्राधिकृत किया गया हो।

(7) "मूल्य" शब्द से आशय सेवा प्रदान करने की लागत तथा प्रशासनिक उपरिव्यय के लिए युक्तियुक्त प्रभार को जोड़कर प्राप्त लागत से है।

(8) "अंतरविध वायु परिवहन" शब्द से आशय विमान द्वारा तथा एक या अधिक सतही परिवहन साधनों द्वारा, पारिश्रमिक या भाड़े के लिए, यात्रियों, सामान, माल और डाक के, पृथक रूप से अथवा संयोजन में, सार्वजनिक परिवहन से है।

(9) "प्रशुल्क" शब्द से आशय विमान सेवा(सेवाओं) द्वारा, उनके अभिकर्ताओं सहित, वायु सेवा में यात्रियों (और उनके सामान) और/अथवा माल (डाक को छोड़कर) के परिवहन के लिए प्रभारित किसी भी भाड़े, दर या प्रभार से है, जिसमें ऐसे भाड़े, दर या प्रभार की उपलब्धता को शासित करने वाली शर्तें शामिल हैं।

(10) "क्षेत्र" शब्द का वही अर्थ होगा जो उसे अभिसमय के अनुच्छेद 2 में समनुदेशित किया गया है।

(11) "उपयोगकर्ता प्रभार" शब्द से आशय विमान सेवा(सेवाओं) पर विमानपत्तन, वायु दिक्चालन अथवा विमानन सुरक्षा सुविधाओं या सेवाओं के प्रावधान के लिए अधिरोपित किसी प्रभार से है, जिसमें विमान, उनके चालक दल, यात्रियों, सामान और माल के लिए संबंधित सेवाएं और सुविधाएं शामिल हैं।

अनुच्छेद 2

अधिकारों का अनुदान

1. प्रत्येक पक्ष, दूसरे पक्ष को, इस समझौते के अनुबंध के समुचित खंड या भाग में निर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाओं की स्थापना के प्रयोजन हेतु, इस समझौते में निर्दिष्ट अधिकार प्रदान करता है। ऐसी सेवाओं और मार्गों को इसके पश्चात क्रमशः "सहमत सेवाएं" और "निर्दिष्ट मार्ग" कहा जाएगा।

2. इस समझौते के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक पक्ष द्वारा नामित विमान सेवा (सेवाओं) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:

(क) दूसरे पक्ष के क्षेत्र में बिना उतरे उसके ऊपर से उड़ान भरने का।

(ख) गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए दूसरे पक्ष के क्षेत्र में ठहराव करने का। और

(ग) इस समझौते के अनुबंध में उस मार्ग के लिए निर्दिष्ट बिंदुओं पर सहमत सेवा का संचालन करते समय, प्रत्येक पक्ष द्वारा नामित विमान सेवा(सेवाओं) को यह अधिकार भी प्राप्त होगा कि वह दूसरे पक्ष के क्षेत्र में यात्रियों और डाक सहित माल के अंतरराष्ट्रीय यातायात को, पृथक रूप से या संयोजन में, उतारे और चढ़ाए।

3. प्रत्येक पक्ष की उन विमान सेवाओं को, जो इस समझौते के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नामित नहीं की गई हैं, इस अनुच्छेद के खंड (2) के उपखंडों (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिकार भी प्राप्त होंगे।

4. इस अनुच्छेद के खंड (2) में की गई कोई बात एक पक्ष की नामित विमान सेवा (सेवाओं) को, दूसरे पक्ष के क्षेत्र में, उस दूसरे पक्ष के क्षेत्र के किसी अन्य बिंदु के लिए गंतव्य यात्रियों, और डाक सहित माल को बोर्ड पर लेने का विशेषाधिकार प्रदान करने वाली नहीं समझी जाएगी।

5. यदि विशेष और असाधारण परिस्थितियों के कारण, एक पक्ष की नामित विमान सेवा अपने सामान्य मार्ग पर सेवा का संचालन करने में असमर्थ है, तो दूसरा पक्ष, पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्णीत मार्गों की उपयुक्त अस्थायी पुनर्व्यवस्था के माध्यम से ऐसी सेवा के निरंतर संचालन को सुगम बनाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा।

6. एक पक्ष की नामित विमान सेवाओं को दूसरे पक्ष द्वारा प्रदत्त हवाई मार्गों, विमानपत्तनों और अन्य सुविधाओं का उपयोग गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 3

विमान सेवाओं का नामन और प्राधिकार

1. प्रत्येक पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह निर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के संचालन के प्रयोजन हेतु एक या अधिक विमान सेवाओं को नामित करे और ऐसे नामन को वापस ले अथवा परिवर्तित करे। ऐसे नामन लिखित रूप में किए जाएंगे और राजनयिक माध्यमों के जरिए दूसरे पक्ष को प्रेषित किए जाएंगे तथा इसमें यह पहचान की जाएगी कि क्या विमान सेवा अनुबंध में निर्दिष्ट प्रकार की वायु सेवाओं का संचालन करने हेतु प्राधिकृत है।

2. किसी भी पक्ष की नामित विमान सेवा(सेवाओं) से, उस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र और रीति में, ऐसे नामन और आवेदन की प्राप्ति पर, दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरण न्यूनतम प्रक्रियात्मक विलंब के साथ समुचित परिचालन प्राधिकरण प्रदान करेंगे, बशर्ते कि:

(क) उस विमान सेवा का सारवान स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण, विमान सेवा को नामित करने वाले पक्ष अथवा उसके नागरिकों में निहित हो।

(ख) नामित विमान सेवा उन शर्तों को पूरा करने के लिए योग्य हो जो आवेदन पर विचार करने वाले पक्ष द्वारा अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाओं के संचालन पर सामान्यतः लागू विधियों और विनियमों के अंतर्गत निर्धारित हैं। और

(ग) विमान सेवा को नामित करने वाला पक्ष अनुच्छेद 9 (सुरक्षा) और अनुच्छेद 10 (विमानन संरक्षा) में उल्लिखित मानकों का अनुरक्षण और प्रशासन कर रहा हो।

अनुच्छेद 4

परिचालन प्राधिकार का प्रत्याहरण या निलंबन

1. कोई भी पक्ष, दूसरे पक्ष द्वारा नामित विमान सेवा को प्रदत्त परिचालन प्राधिकरण को प्रत्याहृत या निलंबित कर सकता है अथवा वह ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकता है जो वह किसी भी ऐसे मामले में आवश्यक समझे जहां:

(क) उस विमान सेवा का सारवान स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण, दूसरे पक्ष अथवा उसके नागरिकों में निहित न हो।

(ख) उस विमान सेवा ने इस समझौते के अनुच्छेद 6 (विधियों का प्रयोग) में निर्दिष्ट विधियों और विनियमों का अनुपालन करने में विफलता दर्शाई हो। अथवा

(ग) दूसरा पक्ष अनुच्छेद 9 (सुरक्षा) में उल्लिखित मानकों का अनुरक्षण और प्रशासन नहीं कर रहा हो।

2. जब तक इस अनुच्छेद के खंड 1 के उपखंडों (ख) और (ग) के आगे अननुपालन को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई अनिवार्य न हो, इस अनुच्छेद द्वारा स्थापित अधिकार, दूसरे पक्ष के साथ परामर्श के पश्चात ही प्रयुक्त किए जाएंगे।

3. यह अनुच्छेद किसी भी पक्ष के इस अधिकार को सीमित नहीं करता है कि वह अनुच्छेद 10 (विमानन संरक्षा) के प्रावधानों के अनुसार दूसरे पक्ष की विमान सेवा के परिचालन प्राधिकरण को रोक ले, प्रत्याहृत करे, सीमित करे अथवा उस पर शर्तें अधिरोपित करे।

अनुच्छेद 5

सहमत सेवाओं के संचालन को शासित करने वाले सिद्धांत

1. दोनों पक्षों की नामित विमान सेवाओं को अपने-अपने क्षेत्रों के बीच निर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के संचालन का उचित और समान अवसर प्राप्त होगा।

2. प्रत्येक पक्ष की नामित विमान सेवा (सेवाओं) द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमता और संचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति, दोनों पक्षों के बीच सहमत की जाएगी।

3. प्रत्येक पक्ष की नामित विमान सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमता और संचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति में कोई भी वृद्धि, दोनों पक्षों के बीच सहमति के अधीन होगी। ऐसी सहमति या निपटारे के लंबित रहने तक, पहले से प्रवृत्त क्षमता और आवृत्ति की हकदारी अभिभावी होगी।

4. प्रत्येक पक्ष की नामित विमान सेवाएं, इस समझौते के अनुबंध में संलग्न मार्ग अनुसूची में निर्दिष्ट बिंदुओं की परवाह किए बिना, किसी भी प्रकार के विमान के साथ पूर्ण तीसरी, चौथी और पांचवीं स्वतंत्रता यातायात अधिकारों के साथ एक-दूसरे के क्षेत्र से/के माध्यम से/के बीच किसी भी संख्या में केवल-माल सेवाओं का संचालन करने की हकदार होंगी, बशर्ते कि ऐसे विमानपत्तनों में अंतरराष्ट्रीय माल परिचालनों को संभालने की क्षमता हो। ऐसी केवल-माल सेवाओं का संचालन किसी भी अन्य विमान सेवा(सेवाओं), जिसमें तीसरे देशों की विमान सेवाएं शामिल हैं, के साथ सहयोगात्मक विपणन व्यवस्थाओं, जैसे कोड शेयरिंग, ब्लॉक्ड स्पेस आदि के अंतर्गत भी किया जा सकता है।

अनुच्छेद 6

विधियों का प्रयोग

1. एक पक्ष के क्षेत्र में प्रवेश करते समय, उसके भीतर रहते हुए, अथवा उससे प्रस्थान करते समय, विमान के परिचालन और दिक्चालन से संबंधित उसकी विधियों, विनियमों और प्रक्रियाओं का दूसरे पक्ष की नामित विमान सेवाओं द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

2. एक पक्ष के क्षेत्र में प्रवेश करते समय, उसके भीतर रहते हुए, अथवा उससे प्रस्थान करते समय, विमान पर यात्रियों, सामान, चालक दल या माल के उसके क्षेत्र में प्रवेश अथवा उससे प्रस्थान से संबंधित उसकी विधियों, विनियमों और प्रक्रियाओं (जिसमें प्रवेश, निकासी, विमानन संरक्षा, आप्रवासन, पासपोर्ट, सीमा शुल्क, मुद्रा, स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा संगरोध से संबंधित विनियम, अथवा, डाक के मामले में,

डाक विनियम शामिल हैं) का, दूसरे पक्ष की नामित विमान सेवाओं के ऐसे यात्रियों, चालक दल या माल के प्रेषकों द्वारा, अथवा उनकी ओर से, अनुपालन किया जाएगा।

3. कोई भी पक्ष अपनी स्वयं की अथवा किसी अन्य विमान सेवा को, इस अनुच्छेद में उपबंधित विधियों, विनियमों और प्रक्रियाओं के प्रयोग में, समान अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाओं में संलग्न दूसरे पक्ष की नामित विमान सेवा की तुलना में वरीयता नहीं देगा।

4. किसी भी पक्ष के क्षेत्र से प्रत्यक्ष पारगमन कर रहे और उस प्रयोजन के लिए आरक्षित विमानपत्तन के क्षेत्रों को न छोड़ने वाले यात्री, सामान और माल, हिंसा, वायु दस्युता, नशीले पदार्थों के नियंत्रण आदि के विरुद्ध संरक्षा उपायों के संबंध के अतिरिक्त, अत्यंत सरलीकृत नियंत्रण से अधिक के अधीन नहीं होंगे।

अनुच्छेद 7

उपयोगकर्ता प्रभार

1. प्रत्येक पक्ष के सक्षम प्रभारण प्राधिकरणों द्वारा दूसरे पक्ष की नामित विमान सेवा(सेवाओं) पर अधिरोपित किए जा सकने वाले उपयोगकर्ता प्रभार, न्यायोचित, युक्तियुक्त, गैर-भेदभावपूर्ण, और उपयोगकर्ताओं की सभी श्रेणियों के बीच समान रूप से आबंटित होंगे। ऐसे उपयोगकर्ता प्रभार दूसरे पक्ष की नामित विमान सेवा(सेवाओं) पर ऐसी शर्तों पर निर्धारित किए जाएंगे जो प्रभार निर्धारण के समय किसी भी अन्य विमान सेवा को उपलब्ध शर्तों से कम अनुकूल न हों।

2. दूसरे पक्ष की नामित विमान सेवा(सेवाओं) पर अधिरोपित उपयोगकर्ता प्रभार, विमानपत्तन पर अथवा विमानपत्तन प्रणाली के भीतर समुचित विमानपत्तन, पर्यावरणीय, वायु दिक्चालन और विमानन संरक्षा सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान हेतु सक्षम प्रभारण प्राधिकरणों के मूल्य को दर्शा सकते हैं, किंतु उससे अधिक नहीं होंगे। ऐसे मूल्य में मूल्यह्रास के पश्चात परिसंपत्तियों पर युक्तियुक्त प्रतिफल शामिल हो सकता है। जिन सुविधाओं और सेवाओं के लिए प्रभार लिए जाते हैं, वे दक्ष और आर्थिक आधार पर प्रदान की जाएंगी।

3. प्रत्येक पक्ष अपने क्षेत्र में सक्षम प्रभारण प्राधिकारों और सेवाओं तथा सुविधाओं का उपयोग करने वाली नामित विमान सेवा(सेवाओं) के बीच परामर्श को प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक पक्ष सक्षम प्रभारण प्राधिकरणों और विमान सेवाओं को ऐसी जानकारी के आदान-प्रदान के लिए प्रोत्साहित करेगा जो इस अनुच्छेद के खंड (1) और (2) में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार प्रभारों की युक्तियुक्तता की सटीक और पारदर्शी समीक्षा की अनुमति देने हेतु आवश्यक हो। प्रत्येक पक्ष सक्षम प्रभारण प्राधिकरणों को यह प्रोत्साहित करेगा कि वे उपयोगकर्ता प्रभारों में परिवर्तन के किसी प्रस्ताव की युक्तियुक्त सूचना उपयोगकर्ताओं को दें ताकि वे परिवर्तनों के कार्यान्वयन से पूर्व अपने विचार व्यक्त कर सकें।

4. कोई भी पक्ष अनुच्छेद 20 (विवादों का निपटारा) के अनुसरण में विवाद निपटान प्रक्रियाओं में इस अनुच्छेद के किसी प्रावधान के उल्लंघन में समझा नहीं जाएगा, यदि:

(i) उसने दूसरे पक्ष की शिकायत के विषय प्रभार या प्रथा की युक्तियुक्त समय के भीतर समीक्षा की है। और

(ii) ऐसी समीक्षा के पश्चात, उसने इस अनुच्छेद के साथ असंगत किसी भी प्रभार या प्रथा को उपचारित करने हेतु अपनी शक्ति के भीतर सभी कदम उठाए हैं।

अनुच्छेद 8

सीमा शुल्क और प्रभार

1. प्रत्येक पक्ष, पारस्परिकता के सिद्धांत पर, दूसरे पक्ष की नामित विमान सेवा(सेवाओं) को, अपनी राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत यथासंभव पूर्ण सीमा तक, विमान, ईंधन, स्नेहक तेलों, उपभोज्य तकनीकी आपूर्तियों, इंजनों सहित कल-पुर्जों, नियमित विमान उपस्कर, विमान भंडार (जिसमें खाद्य, पेय पदार्थ और मदिरा, तंबाकू और विमान के परिचालन या सेवा के संबंध में केवल उपयोग हेतु विक्रय के लिए आशयित अन्य उत्पाद शामिल हैं, किंतु इन तक सीमित नहीं हैं) तथा मुद्रित टिकट स्टॉक, वायु मार्गपत्रक जैसी अन्य वस्तुएं, कोई भी मुद्रित सामग्री जिस पर कंपनी का चिह्न मुद्रित हो और नामित विमान सेवा(सेवाओं) द्वारा नि:शुल्क वितरित सामान्य प्रचार सामग्री पर सीमा शुल्कों, उत्पाद शुल्कों, निरीक्षण शुल्कों और अन्य राष्ट्रीय शुल्कों और प्रभारों से छूट प्रदान करेगा।

2. इस अनुच्छेद के अंतर्गत छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब खंड 1 में निर्दिष्ट वस्तुएं -

(क) दूसरे पक्ष की नामित विमान सेवा(सेवाओं) द्वारा अथवा उनकी ओर से एक पक्ष के क्षेत्र में लाई गई हों।

(ख) एक पक्ष की नामित विमान सेवा(सेवाओं) के विमान पर दूसरे पक्ष के क्षेत्र में आगमन पर अथवा उससे प्रस्थान करते समय बोर्ड पर बनी रहें। अथवा

(ग) सहमत सेवाओं के संचालन में उपयोग हेतु दूसरे पक्ष के क्षेत्र में एक पक्ष की नामित विमान सेवा (सेवाओं) के विमान पर लिए गए हों।

3. इस अनुच्छेद के अंतर्गत छूट, इस तथ्य के होते हुए भी लागू होगी कि क्या ऐसी वस्तुओं का उपयोग या उपभोग पूर्णतः छूट प्रदान करने वाले पक्ष के क्षेत्र के भीतर किया जाता है, बशर्ते कि ऐसी वस्तुओं का स्वामित्व उक्त पक्ष के क्षेत्र में अंतरित न किया गया हो।

4. किसी भी पक्ष की नामित विमान सेवा(सेवाओं) के विमान पर सामान्यतः बनाए रखे गए नियमित हवाई उपस्कर, साथ ही सामग्रियां और आपूर्तियां, दूसरे पक्ष के क्षेत्र में केवल उस पक्ष के सीमा शुल्क प्राधिकरणों की स्वीकृति से उतारी जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में, उन्हें उक्त प्राधिकरणों के पर्यवेक्षण के अधीन तब तक रखा जा सकता है जब तक कि वे पुनः निर्यात न कर दी जाएं अथवा सीमा शुल्क विनियमों के अनुसार अन्यथा निपटान न कर दिया जाए।

अनुच्छेद 9

सुरक्षा

1. कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा नामित विमान सेवा के संबंध में अनुरक्षित सुरक्षा मानकों पर, जो वैमानिकी सुविधाओं, विमान चालक दल, विमान और नामित विमान सेवा (सेवाओं) के परिचालन से संबंधित हों, परामर्श का अनुरोध कर सकता है। ऐसा परामर्श अनुरोध के 30 दिनों के भीतर अथवा पक्षों के बीच सहमत किसी भी लंबी अवधि के भीतर होगा।

2. यदि, ऐसे परामर्श के पश्चात, एक पक्ष यह पाता है कि खंड (1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों में सुरक्षा मानक, जो उस समय अभिसमय के अनुसार स्थापित मानकों को पूरा करते हैं, दूसरे पक्ष द्वारा नामित विमान सेवा

(सेवाओं) के संबंध में प्रभावी रूप से अनुरक्षित और प्रशासित नहीं हैं, तो दूसरे पक्ष को ऐसे निष्कर्षों तथा इन न्यूनतम मानकों के अनुरूप होने के लिए आवश्यक समझे गए कदमों की सूचना दी जाएगी, और दूसरा पक्ष समुचित सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।

3. प्रत्येक पक्ष यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि यदि दूसरा पक्ष 30 दिनों के भीतर समुचित सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करता है, तो वह दूसरे पक्ष द्वारा नामित विमान सेवा (सेवाओं) के परिचालन प्राधिकरण को निलंबित या सीमित करे।

4. यह सहमति व्यक्त की जाती है कि एक पक्ष की विमान सेवा द्वारा दूसरे पक्ष के क्षेत्र से या उसके लिए सेवाओं पर संचालित किसी भी विमान को, दूसरे पक्ष के क्षेत्र के भीतर रहते हुए, दूसरे पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा, विमान दस्तावेजों तथा उसके चालक दल के दस्तावेजों की वैधता एवं विमान और उसके उपस्करों की प्रत्यक्ष स्थिति की जांच के लिए, विमान पर और उसके आस-पास एक परीक्षण (इस अनुच्छेद में "रैम्प निरीक्षण" कहा गया है) के अधीन किया जा सकता है, बशर्ते कि इससे अयुक्तियुक्त विलंब न हो।

5. यदि ऐसा कोई रैम्प निरीक्षण अथवा रैम्प निरीक्षणों की श्रृंखला निम्नलिखित को जन्म देती है:

- यह गंभीर चिंता कि कोई विमान अथवा विमान का परिचालन उस समय अभिसमय के अनुसरण में स्थापित न्यूनतम मानकों का अनुपालन नहीं करता है। अथवा

- यह गंभीर चिंता कि उस समय अभिसमय के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुरक्षण और प्रशासन का अभाव है।

तो निरीक्षण करने वाला पक्ष, अभिसमय के अनुच्छेद 33 के प्रयोजनों के लिए, यह निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगा कि वे अपेक्षाएं जिनके अंतर्गत उस विमान के संबंध में अथवा उस विमान के चालक दल के संबंध में प्रमाणपत्र या लाइसेंस जारी किए गए थे या वैध बनाए गए थे, अथवा वे अपेक्षाएं जिनके अंतर्गत वह विमान परिचालित है, अभिसमय के अनुसरण में स्थापित न्यूनतम मानकों के समतुल्य या उससे ऊपर नहीं हैं।

6. यदि इस अनुच्छेद के खंड (4) के अनुसार एक पक्ष की विमान सेवा द्वारा संचालित किसी विमान के रैम्प निरीक्षण के प्रयोजन हेतु पहुंच उस विमान सेवा के किसी प्रतिनिधि द्वारा अस्वीकार कर दी जाती है, तो दूसरा पक्ष यह अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र होगा कि इस अनुच्छेद के खंड (5) में निर्दिष्ट प्रकार की गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं और उस खंड में निर्दिष्ट निष्कर्ष निकाल सकता है।

7. प्रत्येक पक्ष यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि यदि प्रथम पक्ष, चाहे रैम्प निरीक्षण, रैम्प निरीक्षणों की श्रृंखला, रैम्प निरीक्षण हेतु पहुंच से इनकार, परामर्श अथवा अन्यथा के परिणामस्वरूप, यह निष्कर्ष निकालता है कि विमान सेवा के परिचालन की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई अनिवार्य है, तो वह दूसरे पक्ष की किसी विमान सेवा या विमान सेवाओं के परिचालन प्राधिकरण को तत्काल निलंबित या परिवर्तित करे।

8. इस अनुच्छेद के खंड (3) अथवा (7) के अनुसार एक पक्ष द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई, एक बार जब उस कार्रवाई के करने का आधार समाप्त हो जाए, बंद कर दी जाएगी।

<u>अनुच्छेद 10</u>

विमानन संरक्षा

1. अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपने अधिकारों और बाध्यताओं के अनुरूप, दोनों पक्ष यह पुनः पुष्टि करते हैं कि नागर विमानन की संरक्षा को विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्यों से संरक्षित करने के लिए एक-दूसरे के प्रति उनकी बाध्यता इस समझौते का अभिन्न अंग है। अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपने अधिकारों और बाध्यताओं की व्यापकता को सीमित किए बिना, पक्ष विशेष रूप से टोक्यो में 14 सितंबर, 1963 को संपन्न विमान पर किए गए अपराधों और कुछ अन्य कृत्यों संबंधी अभिसमय, हेग में 16 दिसंबर, 1970 को संपन्न विमान के विधिविरुद्ध अधिग्रहण के दमन हेतु अभिसमय, मॉन्ट्रियल में 23 सितंबर, 1971 को संपन्न नागर विमानन की संरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कृत्यों के दमन हेतु अभिसमय तथा मॉन्ट्रियल में 24 फरवरी, 1988 को संपन्न उसके प्रोटोकॉल, तथा विमानन संरक्षा से संबंधित किसी भी अन्य अभिसमय, जिसके दोनों पक्ष सदस्य बनते हैं, के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेंगे।

2. अनुरोध पर, दोनों पक्ष नागर विमान के विधिविरुद्ध अधिग्रहण और ऐसे विमान, उनके यात्रियों तथा चालक दल, विमानपत्तनों और वायु दिक्चालन सुविधाओं की संरक्षा के विरुद्ध अन्य विधिविरुद्ध कृत्यों को रोकने हेतु, तथा नागर वायु दिक्चालन की संरक्षा के लिए किसी अन्य खतरे का समाधान करने हेतु, एक-दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3. दोनों पक्ष, अपने पारस्परिक संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित और अभिसमय के अनुबंधों के रूप में नामित सभी विमानन संरक्षा मानकों और समुचित अनुशंसित प्रथाओं के अनुरूप कार्य करेंगे। वे यह अपेक्षा करेंगे कि उनकी पंजीयन के विमान के परिचालक, वे परिचालक जिनका प्रधान कार्यस्थल या स्थायी निवास उनके क्षेत्र में हो, तथा उनके क्षेत्र में विमानपत्तनों के परिचालक, ऐसे विमानन संरक्षा प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें।

4. प्रत्येक पक्ष, दूसरे पक्ष द्वारा उस दूसरे पक्ष के क्षेत्र में प्रवेश और उससे प्रस्थान के लिए अपेक्षित संरक्षा प्रावधानों का पालन करने पर सहमत है तथा विमान की सुरक्षा हेतु, और यात्रियों, चालक दल तथा उनके सामान और हाथ के सामान, साथ ही माल और विमान भंडार के, बोर्डिंग या लोडिंग से पूर्व और उसके दौरान, निरीक्षण हेतु पर्याप्त उपाय करने पर सहमत है। प्रत्येक पक्ष किसी विशेष खतरे से निपटने हेतु विशेष संरक्षा उपायों के लिए दूसरे पक्ष के किसी भी अनुरोध पर सकारात्मक विचार भी करेगा।

5. जब विमान के विधिविरुद्ध अधिग्रहण की, अथवा यात्रियों, चालक दल, विमान, विमानपत्तनों या वायु दिक्चालन सुविधाओं की संरक्षा के विरुद्ध अन्य विधिविरुद्ध कृत्यों की, कोई घटना घटित होती है अथवा उसका खतरा उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष संचार और अन्य समुचित उपायों को सुगम बनाकर एक-दूसरे की सहायता करेंगे, जिसका उद्देश्य ऐसी घटना अथवा उसके खतरे को शीघ्रता और सुरक्षापूर्वक समाप्त करना है।

6. जब किसी पक्ष के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हों कि दूसरा पक्ष इस अनुच्छेद के विमानन संरक्षा प्रावधानों से विचलित हुआ है, तो उस पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरण दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरणों के साथ तत्काल परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे अनुरोध की तिथि से 15 दिनों के भीतर समाधानप्रद सहमति तक पहुंचने में विफलता, उस पक्ष की नामित विमान सेवा (सेवाओं) के परिचालन प्राधिकरण को रोकने, प्रत्याहृत करने, सीमित करने अथवा उस पर शर्तें अधिरोपित करने का आधार बनेगी। किसी आपात स्थिति की अपेक्षा होने पर, कोई भी पक्ष 15 दिनों की समाप्ति से पूर्व अंतरिम कार्रवाई कर सकता है।

7. खंड (6) के अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई, दूसरे पक्ष द्वारा इस अनुच्छेद के प्रावधानों का अनुपालन किए जाने पर बंद कर दी जाएगी।

अनुच्छेद 11

वाणिज्यिक अवसर

1. प्रत्येक पक्ष की विमान सेवा (सेवाओं) को वायु सेवाओं के संवर्धन और विक्रय तथा वायु सेवाओं के प्रावधान के लिए अपेक्षित अन्य सहायक उत्पादों और सुविधाओं के लिए दूसरे पक्ष के क्षेत्र में कार्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

2. प्रत्येक पक्ष की विमान सेवा (सेवाओं) को, प्रवेश, निवास और नियोजन से संबंधित दूसरे पक्ष की विधियों और विनियमों के अनुसार, वायु सेवाओं और अन्य सहायक उत्पादों तथा सुविधाओं के प्रावधान के लिए अपेक्षित प्रबंधकीय, विक्रय, तकनीकी, परिचालनात्मक और अन्य विशेषज्ञ कार्मिकों को दूसरे पक्ष के क्षेत्र में लाने और बनाए रखने का हक होगा। ऐसी कार्मिक अपेक्षाएं, विमान सेवा के विकल्प पर, उसके अपने किसी भी राष्ट्रीयता के कार्मिकों द्वारा अथवा दूसरे पक्ष के क्षेत्र में परिचालित किसी अन्य विमान सेवा, संगठन या कंपनी की सेवाओं का उपयोग करके, तथा उस दूसरे पक्ष के क्षेत्र में ऐसी सेवाएं संपन्न करने हेतु प्राधिकृत होकर, पूरी की जा सकती हैं।

3. प्रत्येक पक्ष की कोई भी विमान सेवा दूसरे पक्ष के क्षेत्र में सीधे और, विमान सेवा के विवेकानुसार, अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से वायु सेवाओं तथा उनके सहायक उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं के विक्रय में संलग्न हो सकती है। इस प्रयोजन के लिए, विमान सेवा को अपने स्वयं के परिवहन दस्तावेजों का उपयोग करने का अधिकार होगा और कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र की मुद्रा में अथवा स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में ऐसे परिवहन और उसके सहायक उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं को खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. प्रत्येक पक्ष की विमान सेवा (सेवाओं) को मांग पर, ऐसी विमान सेवाओं द्वारा वायु परिवहन तथा अन्य सहायक उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं के विक्रय के संबंध में अर्जित स्थानीय व्यय पर अधिक स्थानीय राजस्व को, साथ ही ऐसे राजस्व पर अर्जित ब्याज को (जिसमें अंतरण की प्रतीक्षा में जमाओं पर अर्जित ब्याज शामिल है), किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित और अंतरित करने का अधिकार होगा। रूपांतरण और प्रेषण, विमान सेवा द्वारा प्रेषण हेतु प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर वर्तमान लेनदेनों और प्रेषण पर लागू विनिमय दर पर, बिना किसी प्रतिबंध या कराधान के तत्काल अनुमत होंगे।

5. प्रत्येक पक्ष की विमान सेवा (सेवाओं) को दूसरे पक्ष के क्षेत्र में स्थानीय मुद्रा में स्थानीय व्ययों, जिसमें ईंधन की खरीद शामिल है, का भुगतान करने की अनुमति होगी। अपने विवेकानुसार, प्रत्येक पक्ष की विमान सेवा (सेवाओं) दूसरे पक्ष के राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार दूसरे पक्ष के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में भी ऐसे व्ययों का भुगतान कर सकती हैं।

6. इस अनुच्छेद में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, इस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग लागू घरेलू नियमों और विनियमों तथा घरेलू कर विधियों के अनुसार होगा।

अनुच्छेद 12

सहयोगात्मक विपणन व्यवस्थाएं

1. निर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं का संचालन करते समय अथवा उन्हें, परिचालक विमान सेवा के रूप में हो अथवा विपणन विमान सेवा के रूप में, प्रस्तुत करते समय, प्रत्येक पक्ष की नामित विमान सेवा(एं) निम्नलिखित के साथ सहयोगात्मक विपणन व्यवस्थाएं, जैसे कोड-शेयर, ब्लॉक स्पेस अथवा किसी अन्य संयुक्त उद्यम व्यवस्था, में प्रवेश कर सकती हैं -

(क) उसी पक्ष की नामित विमान सेवा(सेवाएं); अथवा

(ख) दूसरे पक्ष की नामित विमान सेवा(सेवाएं)।

2. सहयोगात्मक विपणन व्यवस्थाओं में सम्मिलित परिचालक विमान सेवा(सेवाएं), मार्ग अधिकारों सहित अंतर्निहित यातायात अधिकार तथा क्षमता की हकदारी धारण करेंगी और ऐसी व्यवस्थाओं पर सामान्यतः लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी।

3. सहयोगात्मक व्यवस्थाओं में सम्मिलित सभी विपणन विमान सेवा(सेवाएं) अंतर्निहित मार्ग अधिकार धारण करेंगी और ऐसी व्यवस्थाओं पर सामान्यतः लागू अपेक्षाओं को पूरा करेंगी।

4. ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत निष्पादित वायु सेवाओं द्वारा संचालित कुल क्षमता केवल परिचालक विमान सेवा (सेवाओं) को नामित करने वाले पक्ष की क्षमता हकदारी के विरुद्ध गिनी जाएगी। ऐसी सेवाओं पर विपणन विमान सेवा (सेवाओं) द्वारा प्रस्तावित क्षमता उस विमान सेवा को नामित करने वाले पक्ष की क्षमता हकदारी के विरुद्ध नहीं गिनी जाएगी।

5. परिचालक विमान सेवा (सेवाओं) के अतिरिक्त, प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरण, सहयोगात्मक विपणन व्यवस्थाओं के अंतर्गत वायु सेवाओं के प्रारंभ से पूर्व, विपणन विमान सेवा (सेवाओं) से अनुमोदन हेतु अनुसूचियां दाखिल करने तथा कोई अन्य दस्तावेज प्रदान करने की अपेक्षा कर सकते हैं।

6. ऐसी व्यवस्थाओं के अंतर्गत विक्रय हेतु सेवाओं की पेशकश करते समय, संबंधित विमान सेवा अथवा उसका अभिकर्ता विक्रय बिंदु पर क्रेता को यह स्पष्ट करेगा कि सेवा के प्रत्येक खंड पर कौन सी विमान सेवा परिचालक विमान सेवा होगी तथा क्रेता किस विमान सेवा (सेवाओं) के साथ संविदात्मक संबंध में प्रवेश कर रहा है।

7. कोड शेयरिंग सेवाएं प्रदान करने से पूर्व, कोड शेयरिंग भागीदार इस बात पर सहमत होंगे कि संरक्षा, सुरक्षा, सुविधा, दायित्व और अन्य उपभोक्ता संबंधी मामलों के लिए कौन सा पक्ष उत्तरदायी होगा। ऐसा समझौता कोड-शेयर व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन से पूर्व दोनों पक्षों के वैमानिकी प्राधिकरणों के पास दाखिल किया जाएगा।

अनुच्छेद 13

अंतरविध सेवाएं

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की विधियों और विनियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक पक्ष की नामित विमान सेवा (सेवाओं) को यात्रियों और माल के वायु परिवहन के संबंध में, दूसरे पक्ष के क्षेत्र में सीमा शुल्क सुविधाओं वाले किसी भी बिंदु से या उस तक किसी भी अंतरविध परिवहन को नियोजित करने की अनुमति होगी।

ऐसी विमान सेवा(सेवाएं) अपना स्वयं का अंतरविध परिवहन संपन्न करना चुन सकती हैं अथवा इसे अन्य वाहकों के साथ व्यवस्थाओं, जिसमें कोड शेयर शामिल है, के माध्यम से प्रदान कर सकती हैं। अंतरविध सेवाओं को एक सतत सेवा के रूप में तथा वायु और अंतरविध परिवहन के लिए संयुक्त रूप से एक ही मूल्य पर प्रस्तावित किया जा सकता है, बशर्ते कि यात्रियों और प्रेषकों को ऐसे परिवहन के प्रदाताओं के बारे में सूचित किया जाए।

<u>अनुच्छेद 14</u>
<u>अनुसूचियों का अनुमोदन</u>

1. प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरण, दूसरे पक्ष की नामित विमान सेवा (सेवाओं) से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह उनके विचारार्थ और अनुमोदन हेतु, सहमत सेवाओं के उद्घाटन से कम से कम 60 दिन पूर्व, सेवा के प्रकार और उसकी आवृत्ति, उपयोग किए जाने वाले विमान के प्रकार तथा प्रत्येक बिंदु पर उड़ान समयों से संबंधित जानकारी अंतर्विष्ट करने वाली उड़ान अनुसूचियां दाखिल करे। प्रत्येक आयटा यातायात मौसम के लिए कम से कम 30 दिन अग्रिम रूप से तथा सहमत सेवाओं के संचालन में जब भी परिवर्तन किए जाने हों, वैसी ही जानकारी भी प्रदान की जाएगी।

2. प्रत्येक पक्ष की नामित विमान सेवा (सेवाओं) दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरणों को यह समाधान कराने के लिए अपेक्षित कोई भी अन्य जानकारी भी प्रस्तुत करेगी कि इस समझौते की अपेक्षाओं का सम्यक रूप से पालन किया जा रहा है।

<u>अनुच्छेद 15</u>
<u>सांख्यिकी का प्रावधान</u>

1. प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरण, दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरणों को उस दूसरे पक्ष के क्षेत्र से और उसके लिए सहमत सेवाओं पर प्रत्येक माह के दौरान ले जाए गए यातायात से संबंधित सांख्यिकी प्रदान करेंगे अथवा अपनी नामित विमान सेवा (सेवाओं) से ऐसी सांख्यिकी प्रदान कराएंगे, जिसमें ऐसे यातायात के आरोहण और अवरोहण के बिंदु दर्शाए गए हों। ऐसी सांख्यिकी प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र, परंतु जिस माह से वे संबंधित हैं उसके पश्चात 30 दिनों से अधिक विलंब से नहीं, प्रस्तुत की जाएगी।

2. प्रत्येक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरण, अनुरोध पर, दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरणों को उस दूसरे पक्ष के क्षेत्र से और उसके लिए ले जाए गए यातायात के वास्तविक उद्गम और गंतव्य से संबंधित सांख्यिकी प्रदान करेंगे अथवा अपनी नामित विमान सेवा (सेवाओं) से ऐसी सांख्यिकी प्रदान कराएंगे।

<u>अनुच्छेद 16</u>
<u>प्रशुल्क</u>

1. प्रत्येक पक्ष की नामित विमान सेवा (सेवाओं) द्वारा संचालित सहमत सेवाओं के संबंध में प्रशुल्क, प्रत्येक नामित विमान सेवा द्वारा बाजार में अपने वाणिज्यिक विचारों के आधार पर युक्तियुक्त स्तरों पर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें परिचालन लागत और युक्तियुक्त लाभ सहित सभी प्रासंगिक कारकों को समुचित ध्यान में रखा जाएगा।

2. खंड (1) के अंतर्गत स्थापित प्रशुल्कों को एक पक्ष की नामित विमान सेवा (सेवाओं) द्वारा दूसरे पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरणों के पास दाखिल करना अपेक्षित नहीं होगा।

3. पूर्वगामी के होते हुए भी, प्रत्येक पक्ष को निम्नलिखित हेतु हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा:

(क) ऐसे प्रशुल्कों को रोकना जिनका प्रयोग प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार का गठन करता है जिसका किसी प्रतिस्पर्धी को कमजोर करने अथवा किसी मार्ग से किसी प्रतिस्पर्धी को बहिष्कृत करने का प्रभाव है अथवा होने की संभावना है अथवा आशयित है।

(ख) उपभोक्ताओं को ऐसे प्रशुल्कों से संरक्षित करना जो प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग के कारण अत्यधिक या प्रतिबंधात्मक हैं। और

(ग) विमान सेवाओं को ऐसे प्रशुल्कों से संरक्षित करना जो शिकारी अथवा कृत्रिम रूप से न्यून हैं।

4. इस अनुच्छेद के खंड (3) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, एक पक्ष के वैमानिकी प्राधिकरण दूसरे पक्ष की नामित विमान सेवाओं से प्रशुल्कों की स्थापना से संबंधित जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा कर सकते हैं।

5. यदि एक पक्ष यह मानता है कि दूसरे पक्ष की नामित विमान सेवा (सेवाओं) द्वारा प्रभारित प्रशुल्क इस अनुच्छेद के खंड (3) में उल्लिखित विचारों के साथ असंगत है, तो वह यथाशीघ्र दूसरे पक्ष को अपने असंतोष के कारणों की सूचना देगा और परामर्श का अनुरोध करेगा, जो अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों बाद तक आयोजित किए जाएंगे। यदि पक्ष उस प्रशुल्क के संबंध में, जिसके लिए असंतोष की सूचना दी गई है, सहमति तक पहुंचते हैं, तो प्रत्येक पक्ष उस सहमति को प्रभावी बनाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा। ऐसी सहमति के अभाव में, पूर्व में विद्यमान प्रशुल्क प्रभावी बना रहेगा।

अनुच्छेद 17
बहुपक्षीय समझौते

1. इस समझौते को कार्यान्वित करने में, पक्ष अभिसमय के उन प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेंगे जहां तक वे प्रावधान अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाओं पर लागू होते हैं।

2. यदि, इस समझौते के प्रवृत्त होने के पश्चात, दोनों पक्ष किसी ऐसे बहुपक्षीय समझौते के पक्षकार बन जाते हैं जो इस समझौते द्वारा आच्छादित विषयों को संबोधित करता है, तो कोई भी पक्ष यह निर्धारित करने के लिए परामर्श का अनुरोध कर सकता है कि क्या इस समझौते को उस बहुपक्षीय समझौते को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 18
परामर्श

1. कोई भी पक्ष, किसी भी समय, इस समझौते के निर्वचन, अनुप्रयोग, कार्यान्वयन अथवा संशोधन पर अथवा इस समझौते के अनुपालन पर परामर्श हेतु लिखित अनुरोध कर सकता है।

2. जब तक पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, ऐसा परामर्श उस तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर प्रारंभ होगा जिस तिथि को दूसरा पक्ष अनुरोध प्राप्त करता है।

अनुच्छेद 19
संशोधन

1. इस समझौते में पक्षों के लिखित समझौते द्वारा संशोधन किया जा सकता है।

2. इस प्रकार सहमत कोई भी संशोधन इस समझौते के अनुच्छेद 23 के प्रावधानों के अनुसार प्रवृत्त होगा।

3. खंड (2) के होते हुए भी, पक्ष इस समझौते के अनुबंध में किसी संशोधन को तत्काल प्रभाव देने पर सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद 20
विवादों का निपटारा

1. इस समझौते के अंतर्गत उत्पन्न कोई भी विवाद जो औपचारिक परामर्श द्वारा हल नहीं होता है, पक्षों की सहमति से, निर्णय हेतु किसी व्यक्ति या निकाय को निर्दिष्ट किया जा सकता है। यदि पक्ष इस प्रकार सहमत नहीं होते हैं, तो विवाद, किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, नीचे उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुसार माध्यस्थम को प्रस्तुत किया जाएगा।

2. माध्यस्थम तीन माध्यस्थों के एक अधिकरण द्वारा किया जाएगा जिसे निम्नानुसार गठित किया जाएगा:-

(क) माध्यस्थम हेतु अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, प्रत्येक पक्ष एक माध्यस्थ का नाम देगा। इन दोनों माध्यस्थों के नामांकित होने के 60 दिनों के भीतर, वे सहमति द्वारा एक तीसरे माध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे, जो माध्यस्थम अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(ख) यदि कोई भी पक्ष माध्यस्थ का नाम देने में विफल रहता है, अथवा यदि तीसरे माध्यस्थ की इस खंड के उपखंड (क) के अनुसार नियुक्ति नहीं की जाती है, तो कोई भी पक्ष अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष से 30 दिनों के भीतर आवश्यक माध्यस्थ अथवा माध्यस्थों की नियुक्ति करने का अनुरोध कर सकता है। यदि परिषद के अध्यक्ष पक्षों में से किसी एक की समान राष्ट्रीयता के हैं, तो सबसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो उस आधार पर अयोग्य न हो, नियुक्ति करेंगे। ऐसी स्थिति में जहां अध्यक्ष अथवा सबसे वरिष्ठ योग्य उपाध्यक्ष इस पैराग्राफ के अंतर्गत तीसरे माध्यस्थ की नियुक्ति करते हैं, वह तीसरा माध्यस्थ किसी भी पक्ष का नागरिक नहीं होगा।

3. जब तक अन्यथा सहमति न हो, माध्यस्थम अधिकरण इस समझौते के अनुसार अपनी अधिकारिता की सीमाओं का निर्धारण करेगा और अपने स्वयं के प्रक्रिया नियम स्थापित करेगा। अधिकरण, एक बार गठित हो जाने पर, अपने अंतिम निर्धारण के लंबित रहने तक अंतरिम राहत उपायों की अनुशंसा कर सकता है। अधिकरण के निर्देश पर अथवा किसी भी पक्ष के अनुरोध पर, माध्यस्थम किए जाने वाले सटीक मुद्दों और अनुसरण की जाने वाली विशिष्ट प्रक्रियाओं का निर्धारण करने हेतु एक सम्मेलन, अधिकरण के पूर्णतः गठित होने के 15 दिनों के बाद तक आयोजित किया जाएगा।

4. जब तक अन्यथा सहमति न हो अथवा अधिकरण द्वारा निर्देशित न हो, प्रत्येक पक्ष अधिकरण के पूर्णतः गठित होने के समय से 45 दिनों के भीतर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। प्रत्युत्तर 60 दिन बाद देय होंगे। अधिकरण, किसी भी पक्ष के अनुरोध पर अथवा अपनी स्वयं की पहल पर, प्रत्युत्तर देय होने के 15 दिनों के भीतर एक सुनवाई आयोजित करेगा।

5. अधिकरण, सुनवाई की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर, अथवा यदि कोई सुनवाई आयोजित नहीं की जाती है, तो दोनों प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए जाने की तिथि के पश्चात, एक लिखित निर्णय प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। अधिकरण के बहुमत का निर्णय अभिभावी होगा।

6. कोई भी पक्ष निर्णय दिए जाने के 15 दिनों के भीतर उस पर स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध कर सकता है और ऐसा स्पष्टीकरण उस अनुरोध के 15 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।

7. प्रत्येक पक्ष, अपनी राष्ट्रीय विधि के साथ संगत सीमा तक, माध्यस्थम अधिकरण के किसी भी निर्णय अथवा अधिनिर्णय को पूर्ण प्रभाव देगा।

8. माध्यस्थम अधिकरण के व्यय, जिसमें माध्यस्थों की फीस और व्यय शामिल हैं, पक्षों द्वारा समान रूप से वहन किए जाएंगे। इस अनुच्छेद के खंड (2) के उपखंड (ख) में उल्लिखित प्रक्रिया के संबंध में अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद के अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी भी व्यय को माध्यस्थम अधिकरण के व्यय का भाग समझा जाएगा।

अनुच्छेद 21
समाप्ति

कोई भी पक्ष, किसी भी समय, दूसरे पक्ष को इस समझौते को समाप्त करने के अपने निर्णय की लिखित सूचना दे सकता है। ऐसी सूचना अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को समवर्ती रूप से प्रेषित की जाएगी। यह समझौता, दूसरे पक्ष द्वारा सूचना की प्राप्ति की तिथि की प्रथम वर्षगांठ से ठीक पूर्व, सूचना की प्राप्ति के स्थान पर मध्यरात्रि में समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इस अवधि की समाप्ति से पूर्व पक्षों की सहमति द्वारा सूचना को वापस न ले लिया जाए। दूसरे पक्ष द्वारा प्राप्ति की स्वीकृति के अभाव में, सूचना को अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा सूचना की प्राप्ति के चौदह दिनों पश्चात प्राप्त हुआ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 22
आईसीएओ के साथ पंजीकरण

यह समझौता और इसमें किए गए सभी संशोधन, हस्ताक्षर पर, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के साथ पंजीकृत किए जाएंगे।

अनुच्छेद 23
प्रवृत्त होना

यह समझौता, पक्षों के बीच राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान में परवर्ती नोट की तिथि को, जो यह पुष्टि करता हो कि प्रत्येक पक्ष ने इस समझौते और इसके अनुबंध के प्रवृत्त होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली हैं, प्रवृत्त होगा।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत होकर, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

नाय प्यी ताव में इस 28वें दिन मई, 2012 को, अंग्रेजी भाषा में दो प्रतियों में संपन्न, जो प्रामाणिक पाठ होगा। समझौते का हिंदी और म्यांमार भाषाओं में अनुवाद तैयार किया जाएगा और राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान द्वारा, जो अंग्रेजी भाषा के पाठ के साथ उनकी अनुरूपता की पुष्टि करते हैं, सहमति व्यक्त किए जाने पर समान रूप से प्रामाणिक समझा जाएगा। निर्वचन के किसी मतभेद की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

महामहिम
श्री एस.एम. कृष्णा
विदेश मंत्री

म्यांमार संघ गणराज्य की सरकार की ओर से

महामहिम
यू न्याण हटुन आंग
केन्द्रीय मंत्री
परिवहन मंत्रालय

अनुबंध

मार्ग अनुसूची

अनुसूची I

म्यांमार संघ गणराज्य की नामित विमान सेवाओं के लिए मार्ग

खंड I - यात्री/संयोजन सेवाओं के संचालन के लिए मार्ग

मार्ग 1

उद्गम बिंदु	मध्यवर्ती बिंदु	भारत में बिंदु	आगे के बिंदु
म्यांमार में कोई भी बिंदु	ढाका, पसंद का कोई एक बिंदु	कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई	काठमांडू, कराची अथवा रावलपिंडी, काबुल, तेहरान, कुवैत अथवा बगदाद अथवा बेरूत, काहिरा, सिंगापुर तथा सहमति के अनुसार आगे के बिंदुओं तक

मार्ग 2

उद्गम बिंदु	मध्यवर्ती बिंदु	भारत में बिंदु	आगे के बिंदु
म्यांमार में कोई भी बिंदु	शून्य	पटना, लखनऊ, गुवाहाटी, गया, वाराणसी, भुवनेश्वर, खजुराहो, औरंगाबाद, गोवा, जयपुर, पोर्ट ब्लेयर, कोचीन, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, अमृतसर, विशाखापत्तनम, अहमदाबाद और तिरुचिरापल्ली	शून्य

खंड II - अतिक्रमण उड़ानों और/अथवा गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए ठहराव करने वाली उड़ानों के संचालन के लिए मार्ग

उद्गम बिंदु	मध्यवर्ती बिंदु	भारत में बिंदु	आगे के बिंदु
म्यांमार में कोई भी बिंदु	कोई भी बिंदु	भारत में कोई भी बिंदु	कोई भी बिंदु

अनुसूची II

भारत की नामित विमान सेवाओं के लिए मार्ग

खंड I - यात्री/संयोजन सेवाओं के संचालन के लिए मार्ग

मार्ग 1

उद्गम बिंदु	मध्यवर्ती बिंदु	म्यांमार में बिंदु	आगे के बिंदु

भारत में कोई भी बिंदु	ढाका, पसंद का कोई एक बिंदु	यंगून, मांडले तथा पसंद के कोई भी 2 बिंदु जो अंतरराष्ट्रीय परिचालनों को समर्थन देते हैं	बैंकॉक, सिंगापुर, साइगॉन अथवा हनोई, हांगकांग अथवा मनीला, ओसाका, टोक्यो, चीन में दो बिंदु (या तो/या) तथा सहमति के अनुसार आगे के बिंदुओं तक

मार्ग 2

उद्गम बिंदु	**मध्यवर्ती बिंदु**	**म्यांमार में बिंदु**	**आगे के बिंदु**
पटना, लखनऊ, गुवाहाटी, गया, वाराणसी, भुवनेश्वर, खजुराहो, औरंगाबाद, गोवा, जयपुर, पोर्ट ब्लेयर, कोचीन, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, अमृतसर, विशाखापत्तनम, अहमदाबाद और तिरुचिरापल्ली	शून्य	म्यांमार में कोई भी बिंदु	शून्य

खंड II - अतिक्रमण उड़ानों और/अथवा गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए ठहराव करने वाली उड़ानों के संचालन के लिए मार्ग

उद्गम बिंदु	**मध्यवर्ती बिंदु**	**म्यांमार में बिंदु**	**आगे के बिंदु**
भारत में कोई भी बिंदु	कोई भी बिंदु	म्यांमार में कोई भी बिंदु	कोई भी बिंदु

टिप्पणियां:

1. नामित विमान सेवाओं को अनुसूची I और II के खंड 1 के अंतर्गत निर्दिष्ट मार्गों पर किसी भी या सभी उड़ानों में बिंदु(ओं) को छोड़ने का विकल्प होगा और उन्हें दूसरे पक्ष के क्षेत्र में अपनी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि निर्दिष्ट मार्गों पर सेवाएं विमान सेवा को नामित करने वाले पक्ष के क्षेत्र में किसी बिंदु से प्रारंभ हों।

2. नामित विमान सेवाओं को निर्दिष्ट मार्गों पर बिंदुओं की सेवा उसी क्रम में करना आवश्यक नहीं है जिस क्रम में उनका उल्लेख किया गया है।

3. किसी भी पक्ष के क्षेत्र में दो या अधिक बिंदुओं की सेवा, दूसरे पक्ष की नामित विमान सेवा (सेवाओं) द्वारा एक ही उड़ान पर नहीं की जाएगी, सिवाय इसके कि:

i) टर्मिनेटर सेवाओं पर, म्यांमार की नामित विमान सेवाओं को कोलकाता को दिल्ली या चेन्नई में से किसी एक के साथ एक ही उड़ान पर संयोजित करने की अनुमति होगी, इस शर्त के अधीन कि कोलकाता और दिल्ली/चेन्नई के बीच कोई यातायात अधिकार प्रयुक्त नहीं किए जाएंगे।

ii) टर्मिनेटर सेवाओं पर, भारत की नामित विमान सेवाओं को यंगून और मांडले को एक ही उड़ान पर संयोजित करने की अनुमति होगी, इस शर्त के अधीन कि यंगून और मांडले के बीच कोई यातायात अधिकार प्रयुक्त नहीं किए जाएंगे।

4. नामित विमान सेवाओं को अनुसूची । और ॥ के अंतर्गत खंड 1 के अपने-अपने मार्ग 1 में उल्लिखित मध्यवर्ती और आगे के बिंदुओं की सेवा करने का अधिकार होगा, अपनी क्षमता की हकदारी के भीतर पूर्ण पांचवीं स्वतंत्रता यातायात अधिकारों के साथ।

5. अनुसूची । और ॥ के खंड 1 में निर्दिष्ट न किए गए मध्यवर्ती और/अथवा आगे के बिंदुओं की सेवा की जा सकती है, बशर्ते कि ऐसे बिंदुओं और दूसरे पक्ष के क्षेत्र में किसी भी बिंदु के बीच कोई पांचवीं स्वतंत्रता यातायात अधिकार प्रयुक्त न किए जाएं।

*****